न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 2/2024

वादी :— महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल जाति साद निवासी खारिया नींव तहसील सोजतसीटी जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. प्रभुदास पुत्र शेषमल जाति साद निवासी खारिया नींव तहसील सोजतसीटी जिला पाली
2. श्रीमति मंजू पुत्री शेषमल पत्नी श्यामदास जाति साद निवासी कलाली कलां तहसील रोहट जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3— सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः**— 13/5/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बड़ी खुर्द तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 1.1245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 5.1938 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.0851 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी की माताजी श्रीमति मैना देवी पुत्री शिवदास पत्नी शेषमल की 1/10 हिस्से की संयुक्त खातेदारी की थी। श्रीमति मैना देवी के दो पुत्र महेन्द्र कुमार, प्रभुदास तथा एक पुत्री मंजु है। खातेदार श्रीमति मैना देवी का देहान्त सन् 1981 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी की माताजी मैना देवी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश राजुदास नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार है। इसी प्रकार ग्राम रामनगर कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/1 रकबा 4.9673 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0320 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी की माताजी श्रीमति मैना देवी पुत्री शिवदास पत्नी शेषमल की 1/16 हिस्से की संयुक्त खातेदारी की थी। श्रीमति मैना देवी के दो पुत्र महेन्द्र कुमार, प्रभुदास तथा एक पुत्री मंजु है। खातेदार श्रीमति मैना देवी का देहान्त सन् 1981 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी की माताजी मैना देवी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश राजुदास नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार है। वादी को घर में लाड प्यार से राजुदास पुकारते है और वादी का सरकारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दस्तावेज आदि में उसका नाम महेन्द्र कुमार लिखा हुआ है। जब वादी की माताजी श्रीमति मैना देवी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम राजुदास लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम महेन्द्र कुमार लिखा हुआ है और जमाबन्दी में राजुदास लिखा हुआ है, जिस पर बैंक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने राजुदास के स्थान पर महेन्द्र कुमार नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी राजुदास एवं महेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काशत चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 से 2 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में राजुदास नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से राजुदास पुकारते है, इस कारण वादी वादी की माताजी श्रीमति मैना देवी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम राजुदास दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज महेन्द्र कुमार नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण वादी अभी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गया और उनके द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने का कहने पर वादी को वाद कारण ग्राम बड़ी खुर्द तथा रामनगर कलां तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम बड़ी खुर्द तथा रामनगर कलां तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बड़ी खुर्द तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 1.1245 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 134 रकबा 5.1938 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.0851 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में राजुदास पुत्र मैना देवी के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे । ग्राम रामनगर कलां तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23धे1 रकबा 4.9673 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0320 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजुदास पुत्र मैना देवी के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी स्वयं या उसके प्रतिनिधि में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडी खुर्द के खसर नंबर 131 रकबा 1.1245 हैक्टयर, खसरा नंबर 132 रकबा 0.0566 हैक्टयर, ,खसरा नंबर 133 रकबा 0.0081 हैक्टयर, खसरा नंबर 134 रकबा 5.1938 हैक्टयर खसरा नंबर 159 रकबा 2.5888 हैक्टयर, खसरा नंबर 55 रकबा 0.1133 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.0851 हैक्टयर है जो वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादी का इस भूमि में पहली बार नाम जरिये विरासत नामा. सं. 633 दिनांक 12.11.2019 को राजूदास दर्ज हुआ। ग्राम रामनगर कलां के खसरा नंबर 23 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 23/1 रकबा 4.9673 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0320 हैक्टयर है। जो वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादी का इस भूमि में पहली बार नाम जरिये विरासत नामा. सं. 103 दिनांक 20.11.2019 को राजूदास दर्ज हुआ। वादी द्वारा सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक डायरी इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम महेन्द्र कुमार होना बताया। वादी दोनों ग्रामों के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम राजूदास के स्थान पर महेन्द्र कुमार करवाना चाहता है। पद सं. 6 से 10 तक का जवाब वादी स्वयं साबित करें। वादी की ईस्तदुआ है कि विरासत नामा. भरते समय गलती से या बिना जानकारी मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में राजूदास कर दिया गया था जिसकी दुरूस्ती की जाकर मेरा नाम महेन्द्र कुमार किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बडी खुर्द के खसरा नं. 131 रकबा 1.1245 हैक्टयर, खसरा नंबर 132 रकबा 0.0566 हैक्टयर, ,खसरा नंबर 133 रकबा 0.0081 हैक्टयर, खसरा नंबर 134 रकबा 5.1938 हैक्टयर खसरा नंबर 159 रकबा 2.5888 हैक्टयर, खसरा नंबर 55 रकबा 0.1133 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 9.0851 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में वादी के हिस्से में राजूदास पुत्र मैनादेवी के स्थान पर महेन्द्रकुमार पुत्र शेषमल व ग्राम रामनगर कलां के खसरा नंबर 23 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 23/1 रकबा 4.9673 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.0320 हैक्टयर में वादी के हिस्से में दर्ज प्रविष्टि राजुदास पुत्र मैनादेवी के स्थान पर महेन्द्रकुमार पुत्र शेषमल की खातेदारी घोषणा किये जाने की रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खसरा सं. 131, 132, 133, 134, 159, 55 ग्राम बडी खुर्द , प्रदर्श 2 जमाबंदी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संवत् 2073 से 2076 खसरा नंबर 23, 23/1 ग्राम रामनगर कलां, प्रदर्श 3 पहचान पत्र महेन्द्र पुत्र शेषमल, प्रदर्श 4 राशनकार्ड महेन्द्र पुत्र शेषमल, प्रदर्श 5 बैक डायरी महेन्द्र पुत्र शेषमल आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पहचान पत्र महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल , प्रदर्श 2 परिवार राशन कार्ड महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल, प्रदर्श 3 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल, प्रदर्श 4 आधार कार्ड महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी का नाम सरकारी दस्तावेजात में महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम राजूदास पुत्र मैनादेवी के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल की घोषणा कराने के अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने राजूदास पुत्र मैनादेवी के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बडी खुर्द के खसरा नं. 131 रकबा 1.1245 हैक्टयर, खसरा नंबर 132 रकबा 0.0566 हैक्टयर, ,खसरा नंबर 133 रकबा 0.0081 हैक्टयर, खसरा नंबर 134 रकबा 5.1938 हैक्टयर खसरा नंबर 159 रकबा 2.5888 हैक्टयर, खसरा नंबर 55 रकबा 0.1133 हैक्टयर तथा ग्राम रामनगर कलां के खसरा नंबर 23 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 23/1 रकबा 4.9673 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में राजूदास पुत्र मैनादेवी के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– **बनाम** **प्रतिवादीगण :–**
महेन्द्र कुमार प्रभुदास वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 2/2024

निर्णय **दिनांक :–** 18/12/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बडी खुर्द के खसरा नं. 131 रकबा 1.1245 हैक्टयर, खसरा नंबर 132 रकबा 0.0566 हैक्टयर, ,खसरा नंबर 133 रकबा 0. 0081 हैक्टयर, खसरा नंबर 134 रकबा 5.1938 हैक्टयर खसरा नंबर 159 रकबा 2.5888 हैक्टयर, खसरा नंबर 55 रकबा 0.1133 हैक्टयर तथा ग्राम रामनगर कलां के खसरा नंबर 23 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 23/1 रकबा 4.9673 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में राजूदास पुत्र मैनादेवी के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा`		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा